(134)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3141–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–2–14 पारित द्वारा सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख, जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 25/2014/X19/11.

1– भीकम सिंह
2– अलबेल सिंह
3– फूल सिंह
4– लाखनसिंह
पुत्रगण महराराज सिंह
निवासीगण ग्राम सिहारा
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

कप्तान सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
निवासी ग्राम सिहारा
तहसील व जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/4/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–2–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम सिहारा तहसील व जिला ग्वालियर स्थित सर्वे कमांक 174/1 रकबा 0.115 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 174/2 रकबा 0.021 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 175 रकबा 0.105 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख से कराये जाने हेतु आवेदन पत्र कलैक्टर, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख से सीमांकन कराये जाने की

अनुमति देते हुए प्रकरण अधीक्षक, भू–अभिलेख को भेजा गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा सीमांकन दल गठित कर, सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख एवं सीमांकन दल को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके पालन में सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख एवं गठित सीमांकन दल द्वारा दिनांक 1–2–14 को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर, सीमांकन प्रतिवेदन अधीक्षक, भू–अभिलेख को प्रस्तुत किया गया । सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सीमांकन कार्यवाही के पूर्व पड़ोसी कृषकों को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर, पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति सीमांकन किया जाना आवश्यक है, किन्तु सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा आवेदकगण, जो कि पड़ोसी कृषक हैं, को सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है और उनकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है । इस प्रकार सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा संहिता की धारा 129 के आज्ञापक प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के विपरीत सीमांकन किया गया है, जो कि अवैध एवं शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा सर्वे क्रमांक 172 के सीमांकन बावत् कोई निर्देश नहीं दिये गये थे और न ही अनावेदक द्वारा उक्त सर्वे क्रमांक का सीमांकन किये जाने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा अनावेदक को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिस सर्वे क्रमांक का सीमांकन नहीं होना था, उस सर्वे क्रमांक का फर्जी तरीके से विधि विरूद्ध सीमांकन कार्यवाही करते हुए आवेदकगण का अवैध कब्जा बताकर, जो सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा किया गया सीमांकन विधि विरूद्ध है, अतः निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सीमांकन से वह किस प्रकार प्रभावित हैं । इसके अतिरिक्त आवेदकगण की भूमि अनावेदक की भूमि से लगी हुई और वे पडोसी कृषक हैं, ऐसा भी कोई प्रमाण पेश

नहीं किया है । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही में समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दी जाकर विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–2–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर